nt>

Title: Need to formulate guidelines regarding regularisation jhuggis in Nagpur and in the country.

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, नागपुर महाराट्र की दूसरी राजधानी है। परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में बेरोजगार लोग रोजगार की तलाश में नागपुर आते हैं। इस वक्त नागपुर की आबादी 35 लाख से ऊपर है। पूरे शहर में कई जगहों पर झुग्गी-झोंपड़ियां बन गई हैं। एक सर्वेक्षण के मुताबिक नागपुर में सरकारी और निजी जमीन पर करीब 12 लाख लोग झुग्गी-झोंपड़ियां बनाकर रह रहे हैं। राज्य सरकार के एक निर्णय के मुताबिक जो झोंपड़ियां 1995 के पहले बसी हुई हैं, उनको कायम करने तथा वहां रहने वाले गरीब लोगों को प्लाट के पट्टे का मालिकाना हक दिए जाने का निर्णय लिया गया है। लेकिन कुछ लोग जिनको प्लाट नहीं मिले, वे कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने आदेश दिया कि वह तमाम झुग्गी-झोंपड़ियां हटाकर आवेदकों को प्लाट दिए जाएं। अगर ऐसा होता है तो नागपुर में आठ लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में लोग गए और वहां से तीन महीने का स्टे ले आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तीन महीने के अंदर इन लोगों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष महोदय, आप ही सोच सकते हैं कि तीन महीने के अंदर आठ लाख लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर पाना कहां तक सही होगा। राज्य सरकार के भी बस की यह बात नहीं है। केन्द्र सरकार, जिनको घर नहीं है, उनको घर देने की व्यवस्था कर रही है। नए-नए आयाम और प्र ायोजन हो रहे हैं। ऐसे वक्त में इन झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए राज्य सरकार ने खर्चा किया, जनप्रतिनिधियों ने भी खर्चा किया। यहां तक कि गरीब लोगों ने भी अपनी पूरी पूंजी लगाकर अपने घर बनाए हैं। ऐसे हालात में उनको वहां से हटाना, मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। कोर्ट अपने-अपने ढंग से आदेश दे देती हैं। वहां की राज्य सरकार और संस्था के लोग तकलीफ में आ जाते हैं। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि झुग्गी-झोपडिंयों और मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों के पुर्नवास के लिए राट्रीय नीति बनायी जानी चाहिए, आज देश भर में राज्य सरकारें इस समस्या से निपटने का प्रयास कर रही हैं परन्तु उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार, जिन लोगों के पास मकान नहीं है, उनके लिए मकान देने का कार्यक्रम बना रहे हैं। दूसरे, कोर्ट के ऐसे आदेश की वजह से लोगों को मुश्किल होती है। नागपुर में तकरीबन दस लाख लोग भय की स्थिति से गुजर रहे हैं। कल क्या होने वाला है, उन लोगों को मालूम नहीं है और 30-40 किलोमीटर इन लोगों को शहर से दूर जाना पड़ेगा।

मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य सरकार के बचाव में आए और इस पूरे मामले को उच्चतम न्यायालय के समक्ष सही परिप्रेक्ष्य में रखे, ताकि न्यायालय से इस सम्बन्ध में स्पट निर्देश लिए जा सकें।